हिन्दुस्तान
पटना • बुधवार • 05 सितम्बर 2018 | 03

रेरा में अब 30 तक बिल्डर करा सकते हैं पंजीकरण

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रीयल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (रेरा) के तहत अपने प्रोजेक्टों को अब तक पंजीकृत न कराने वाले बिल्डरों को एक और मौका दिया गया है। पंजीकरण के लिए तय समय सीमा 31 अगस्त को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। अब पंजीकरण कराने वालों को 400 प्रतिशत विलंब शुल्क देना होगा।

रेरा का फंदा बिल्डरों पर कसने लगा है। प्रदेश सरकार द्वारा सिर्फ रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्टों के फ्लैटों के ही निबंधन की व्यवस्था लागू करने के बाद ऐसा हुआ है। अब भी राज्य में काफी संख्या में ऐसे बिल्डर हैं, जिन्होंने रेरा में पंजीकरण नहीं कराया है। इसलिए पंजीकरण की तिथि एक बार फिर बढ़ाई गई है। मगर अब पंजीकरण कराने वाले को चार लाख रुपये जमा कराने होंगे। पंजीकरण का वास्तविक शुल्क 10 हजार है, लेकिन उस पर 400 प्रतिशत विलंब शुल्क देना होगा। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा का कहना है कि जिन लोगों ने अपने चालू प्रोजेक्टों का 30 सितंबर तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी है।

मौका

- 400 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ प्रोजेक्ट पंजीकृत कराने को बढ़ाई गई तिथि
- वर्तमान प्रोजेक्ट को पंजीकृत न कराने वालों पर भी लगाया जाएगा भारी जुर्माना

अब तक सिर्फ 147 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत

रेरा में अब तक सिर्फ 127 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत हैं। जबकि 127 अभी प्रक्रिया पूरी न करने के कारण अधर में लटके हैं। खास बात यह है कि इनमें से तमाम 60 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आपत्तियों का निस्तारण नहीं कर पाए हैं।